27th May 2018 | Dainik Bhaskar

Page 22, Hoshangabad edition

कार्यशाला | संडिया रोड स्थित रिसोर्ट में हुई भंडारण नीति पर चर्चा

वेयर हाउस होंगे ऑनलाइन किसानों को इलेक्ट्रॉनिक पर्ची

भास्कर संवाददाता | पिपरिया

वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (डब्ल्यूडीआरए) एवं नेशनल ई रिपोजिटरी लिमिटेड (एनईआरएल) के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को सांडिया रोड स्थित रिसोर्ट में कार्यशाला हुई। इसमें जिले भर के 70 वेयरहाउस संचालक शामिल रहे। केंद्र सरकार की नई भंडारण नीति और डब्ल्यूडीआरए से लाइसेंस लेने की ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे बताया गया। वेयर हाउस संचालक ऑनलाइन आवेदन करके लाइसेंस ले सकते हैं। नई नीति के तहत डब्ल्यूडीआरए से पंजीकृत वेयर हाउसों से उपज भंडारण के बाद किसानों को इलेक्ट्रॉनिक पर्ची मिलेगी। मेनुअल सिस्टम कर दिया जाएगा। वेयर हाउसों की निगरानी वाला केंद्रीय प्राधिकरण डब्ल्यूडीआरए है। डब्ल्यूडीआरए के मेंबर डॉ. बीवी पटनायक ने वेयर हाउस संचालकों से कहा वे पंजीकरण कराएं और डब्ल्यूडीआरए से जुड़ें। अभी डब्ल्यूडीआरए से करीब 20 वेयर हाउस जुड़े थे। बाकियों ने प्रदेश सरकार के नियमों के तहत पंजीकरण कराया है। केंद्रीय संस्था से रजिस्ट्रेशन की नियमावली अलग हैं। इन्हें नए नियमों के तहत पंजीयन कराने के लिए कहा है। पटनायक ने बताया क्रमबद्ध ढंग से केंद्र सरकार वेयर हाउसों के सिस्टम को ऑनलाइन करने की तरफ बढ़ रही है। जिससे भंडारण में भी पारदर्शिता आ सके। उन्होंने बताया डब्ल्यूडीआरए एक सॉफ्टवेयर भी तैयार करा रही है। जो पंजीकृत वेयर हाउस संचालकों को दिया जाएगा। किसान डीब्ल्यूडीआरए के वेयर हाउस रसीद पर लोन भी सकेगा। वेयरहाउस ऑनर्स एसोसिएशन अध्यक्ष बालकिशन टावरी एवं सचिव अशोक तोषनीवाल ने स्थानीय भंडारण व्यवस्था के बारे में बताया। हालांकि वेयर हाउस संचालकों की रुचि डब्ल्यूडीआरए से जुड़ाव की कितनी है। यह कुछ दिनों बाद पता चल जाएगी।

जिले भर में करीब 200 से ज्यादा वेयर हाउस हैं। वेयर हाउस ऑनर्स एसोसिएशन के मुताबिक पिपरिया में 50 वेयर हाउस हैं। इनमें करीब 4 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता है। भंडारण उद्योग के मामले में पिपरिया का नाम प्रदेश स्तर तक पहचाना जाने लगा है। वर्तमान में निजी वेयर हाउसों को शासन ने अनुबंधित कर लिया है। इनमें गेहूं और चने का भंडारण किया है। इसके एवज में सरकार वेयर हाउस मालिकों को पैसा देती है। क्षेत्र के अधिकांश वेयर हाउस गेहूं से भर गए हैं। कुछ वेयर हाउस में शासकीय धान भी भरी है। जानकारी के मुताबिक वेयर हाउसों में करीब 1 लाख 50 हजार मीट्रिक टन गेहूं भरा है। इस मौके पर डब्ल्यूडीआरए के मेंबर डॉ बीवी पटनायक, तकनीकी निदेशक डॉ. आरके त्रिपाठी, मेंबर पी श्रीनिवास एवं सेंट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक के जनरल मैनेजर सीएस सांकला ने संबोधित किया। सांकला ने लोन प्रक्रिया के बारे में बताया। 10 से 75 लाख के लोन आरएम स्तर के अधिकारी स्वीकृत कर सकते हैं।

भंडारण शुल्क बढ़ाने की मांग

प्रश्नोत्तर समय के दौरान वेयर हाउस संचालकों ने शुल्क संबंधी मुद्दे भी उठाए। वेयर हाउस संचालक विजित भट्टर ने कहा केंद्र सरकार भंडारण शुल्क के रूप में 10 रुपए प्रति क्विंटल देती है। लेकिन यहां सरकार वेयर हाउस संचालकों को 6.60 पैसे प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान करती है। 4.60 रुपए में शासन में विभिन्न व्यय करती है। इसमें भुगतान की राशि बढ़ाने की मांग की है। इस मामले में डब्ल्यूडीआरए के मेंबर पटनायक ने कहा वे इस मामले में नियमों से बंधे हैं। वे शासन तक मांग पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वेयर हाउस संचालक भी प्रयास करें। इस मौके पर दिलीप दूढ़ानी, विवेक जैन, विजित भट्टर सहित क्षेत्र के वेयर हाउस संचालक उपस्थित रहे।

40 वेयर हाउसों के पंजीकरण का टारगेट दिया

डब्ल्यूडीआरए मेंबर पटनायक ने कहा पिपरिया के 40 वेयर हाउसों का पंजीकरण डब्ल्यूडीआरए से कराएं। इसके बाद यहां प्रशिक्षण शाला का आयोजन भी किया जाएगा। यह प्रशिक्षण कार्यशाला सितंबर में संभावित है। गौरतलब है कि डब्ल्यूडीआरए से पंजीकृत वेयरहाउस भंडारण मामले में उच्चकोटि के माने जाते हैं। अभी कई वेयर हाउस ऐसे भी हैं शासन के भंडारण नियमों का उल्लंघन भी कर रहे हैं। ऐसे वेयर हाउसों की जांच का अधिकार प्रदेश सरकार को है।